सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 84/2016 प्रार्थना पत्र

1– हरिकिशन पिता हजारीलाल कुम्हार, आयु 70 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2– अम्बालाल पिता हजारीलाल कुम्हार, आयु 65 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
3– रामचन्द्र पिता हजारीलाल कुम्हार, आयु 60 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
4– ताराचंद पिता हजारीलाल कुम्हार, आयु 55 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1– शान्तिलाल पिता जुनिया प्रजापत, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2– केलाश पिता जुनिया प्रजापत, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
3– राजकुमार पिता जुनिया प्रजापत, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
4– श्रीमती रूकमण बाई पत्नी जुनिया प्रजापत, आयु वयस्क, निवसाी निम्बाहेड़ा।
5– उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, निम्बाहेड़ा।
6– राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 20.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा गादोला की साबिक आराजी नं. 253, 255, कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खाता संख्या 639 की आराजी नं. 5 रकबा 1.5000 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 7 रकबा 1.5400 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.0400 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि भूरी बाई पत्नी पेमा कुम्हार की स्वअर्जित भूमि थी जो उनके भतीजे हजारी व जुनिया को दी गई थी। तभी से कब्जा हजारी व जुनिया का चला आ रहा था। जनिया जी के अधिक कर्जा हो जाने से जुनिया जी ने हजारीलाल के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 26.06.1973 को निष्पादित किया की छ माह में 32.125 रूपये हजारीलाल को अदा नहीं कर पाता है तो जुनिया का आराजीयात में जो हक हिस्सा निहित है वह हक हिस्सा पुरा का पुरा हजारीलाल अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा व पुरा हक हजारीलाल के कब्जे व आधिपत्य में रहेगा। उक्त आराजीयात पर बाद में जाति पंचों व मौतबिरान ने 10 बीघा 1 बिस्वा आराजीयात हजारी के हक हिस्से में रख कर कब्जा मौके पर दे दिया व तहरीरी स्टाम्प भी निष्पादित किया गया। तब से ही विवादित आराजीयात के 10 बीघा 1 बिस्वा उत्तर दिशा की आराजीयात पर सन् 1985 से हजारीलाल जी का कब्जा चला आ रहा था तथा हजारीलाल के स्वर्गवास के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरान्त प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दक्षिण दिशा की शेष 2 बीघा आराजीयात पर जनिया जी व उनकी मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार जाति पंचों के समक्ष हुए बंटवारे व जुनिया जी की सहमति के आधार पर लगभग 30 वर्ष से प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं और एडवर्स पजेशन से खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का 122 व विपक्षीगण का 1/2 हिस्सा गलती से दर्ज है। प्रार्थीगण ने 10 बीघा 1 बिस्वा दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण इन्कार हो गये तथा विवादित भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं। मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा, तब तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस साबित है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के कथनों को नकार दिया। अपने जवाब में विपक्षीगण ने अंकित किया की विवादित भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व की होकर प्रार्थीगण का 1/2 तथा विपक्षीगण का भी 1/2 हक हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। हजारी जी व जुनिया जी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात के बंटवारे का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया जिसके मुकदमा नं. 222/77 होकर न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर दिनांक 30.04.1980 को विपक्षीगण के पिता जीवन जी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जिसकी अपील अपीलाण्ट के पिता द्वारा की गई जो खारीज हो गई और राजस्व मण्डल में भी अपील की गई, जो भी खारीज हुई। माननीय न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री को बहाल मानते हुए 1/2, 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व विपक्षीगण का माना है। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कराने हेतु प्रार्थीगण को कई बार कहा परन्तु प्रार्थीगण पूर्व में पारित डिक्री को नहीं मान रहे हैं। प्रार्थीगण ने जो नया वाद प्रस्तुत किया है वह धारा 11 जा.दि. के तहत रेस्ज्युडिकेटा से बाधित होकर चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का कब्जा 10 बीघा भूमि पर नहीं है। उत्तर दिशा के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण व दक्षिण दिशा के 1/2 हिस्से पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है इसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा किया जावे। एडवर्स पजेशन के तथ्य गलत लिखे गये हैं। विपक्षीगण का अपने 1/2 हिस्से पर शांतिपूर्ण कब्जा है इसलिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकतम क्षति विपक्षीगण को ही होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने नकल इकरारनामा दिनांक 30.06.1985 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम गादोला की खाता संख्या 639 की छायाप्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम गादोला, नकल जमाबन्दी संवत 2010–13 ग्राम गादोला की खाता संख्या 17 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2014–17 ग्राम गादोला की खाता संख्या 19 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2018–21 ग्राम गादोला की खाता संख्या 19 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। अधिवक्ता विपक्षी ने न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 196/2015 वाद निर्णय दिनांक 21.03.2016 की छायाप्रति तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.11.2016 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। हमने बहस पर मनन किया। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व विपक्षीगण विवादित भूमि के 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण हजारी व जुनिया की आपसी सहमति के आधार पर समाज के पंचों के मध्य निष्पादित इकरारनामें के आधार पर विवादित भूमि के 10 बीघा 1 बिस्वा उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा बताते हैं तथा ईकरारनामें की प्रति भी प्रस्तुत की है। अधिवक्ता विपक्षीगण विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में प्रकरण विचाराधीन होकर निर्णित होना बताते हैं तथा न्यायालय हाजा एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत की। न्यायालय हाजा की डिक्री दिनांक 21.03.2016 में मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 2028, 2015, 2018, 2020, 2021 का निर्णय किया गया है जबकि वर्तमान प्रकरण में ग्राम गादोला की आराजी नं. 5 व 7 के उपर निर्णय किया जाना है। इसलिए वर्तमान प्रकरण रेस ज्युडिकेटा के दोष से दुषित नहीं है। दोनों भाईयों के वारिसान के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि का विवाद है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के 10 बीघा 1 बिस्वा भाग पर विगत 30 वर्ष से अपना कब्जा बताते हुए एडवर्स पजेशन की सहायता चाहते हैं जबकि विपक्षीगण इससे इन्कार करते हैं। चूंकि प्रार्थीगण को अपना पक्ष साबित करने का पूर्ण अवसर वाद में ही प्राप्त हो सकेगा, तब तक पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद को रोकने के लिए विवादित भूमि की यथास्थिति कायम रखा जाना हमे न्यायोचित लगता है। वाद का निर्णय होने से पूर्व यदि किसी पक्ष द्वारा विवादित भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से अथवा किसी भू भाग का हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो इससे अनावश्यक विवाद पैदा होंगे, नये मुकदमें कायम होंगे जिससे न्यायालय पर अनावश्यक कार्यभार बढेगा तथा न्याय निर्णयन में भी विलम्ब होता रहेगा जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद की स्थिति को रोकने के लिए विवादित भूमि की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम

निर्णय तक कायम रखा जाना न्यायोचित है। चूंकि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि का कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा संयुक्त खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी सह खातेदारों का पूर्ण स्वामित्व होता है इसलिए संयुक्त खातेदारी भूमि पर किसी पक्षकार विशेष का हिस्सा चिन्हित किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए सम्पूर्ण विवादित आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखी जाने से ही अनावश्यक विवाद को रोका जा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभय पक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभय पक्ष मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित भूमि ग्राम गादोला की खाता संख्या 639 की आराजी नं. 5 व 7 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0400 हेक्टेयर भूमि के मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 20.02.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा